

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 381]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 22 जुलाई 2010—आषाढ़ 31, शक 1932

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 10 जुलाई 2010

क्र. फा.नं. 38-स्था.-राविसेप्रा.-2010.—विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का संख्यांक 39) की धारा 8क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक सी-4282-II-15-50/87-V, जबलपुर, दिनांक 28 सितम्बर, 2006 के अनुसरण में, एतद्वारा इस प्राधिकरण की अधिसूचना फा.नं. 38-स्था.-राविसेप्रा-2004, जबलपुर, दिनांक 24 सितम्बर, 2004 में, जो "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 30 सितम्बर, 2004 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुक्रमांक 7, 8, 9 एवं 10 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जायें, अर्थात् :-

- | | | |
|-----|--|-------|
| 7. | श्री रमेश कुमार, अधिवक्ता, जबलपुर | सदस्य |
| 8. | श्री श्रीकान्त पाण्डेय, सेवानिवृत्त अवर सचिव, राविसेप्रा, जबलपुर | सदस्य |
| 9. | श्री जेड. ए. खान, अधिवक्ता, इन्दौर | सदस्य |
| 10. | श्रीमती निशा दुबे, कुलपति, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल | सदस्य |

F.No. 38-Estt.-SLSA-2010.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 8-A of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987), the Madhya Pradesh State Legal Services Authority, in pursuance of the Notification No. C-4282-II-15-50-87-V, Jabalpur, dated 28th September, 2006 of the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur, hereby makes the following amendment in this Authority's Notification F.No. 38/Estt./SLSA/2004 Jabalpur, dated 24th September, 2004, which was published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated 30th September, 2004, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, for the Serial No. 7, 8, 9 and 10 and entries relating thereto, the following Serial Nos. and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

7.	Shri Ramesh Kumar, Advocate, Jabalpur	Member
8.	Shri Shrikant Pandey, Under Secretary (Ret.), SLSA, Jabalpur	Member
9.	Shri Z. A. Khan, Advocate, Indore	Member
10.	Smt. Nisha Dubey, V. C., Barkatullah University, Bhopal	Member

माननीय मुख्य न्यायाधिपति एवं मुख्य संरक्षक, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुशील कुमार पालो, सदस्य-सचिव.